रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223921 CG-DL-E-24122020-223921

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663] No. 663] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 796(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग क) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,--
 - (1) नियम 4 के उपनियम (1) में,--

6324 GI/2020 (1)

(क) परंतुक (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही, अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के लिए हकदार होंगे :

परंतु प्राधिकरण के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी ही चिकित्सा सुविधाओं के लिए हकदार होंगे, जो प्राधिकरण से नियमित अधिकारी और कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिन्होंने प्राधिकरण में कम से कम तीन वर्ष का पूर्णकालिक नियोजन और प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में कुल बीस वर्ष की सेवा की हो।";

(ख) परंतुक (ग) की मद (i) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, (अध्यक्ष, सदस्य और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के परंतुकों के अधीन विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित किए जाएंगे।";

- (ग) परंतुक (ड.) में, "उपदान अधिनियम, 1976" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "उपदान अधिनियम, 1972" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (2) नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (iv) में, "22,400-24,500 रुपए (पूर्व पुनरीक्षित 7,300-7,600 रुपए)" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मेट्रिक्स के स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रुपए)" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- 3. मूल नियम की अनुसूची 2 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

"अनुसूची 2

[नियम 4(ख) देखें]

चिकित्सा सुविधाएं

1. **बाह्य चिकित्सा व्यय**—(i) अधिकारी और कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही, स्वयं और परिवार के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, "परिवार" पद का वही अर्थ है, जो उसका केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में है।

(ii) किसी वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्ययों या वर्ष की पहली जनवरी को एक मास के वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता), इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी। दावा, चिकित्सक द्वारा उपचार के लिए चिकित्सक की पर्ची और मूल नकद मेमों/बिलों और औषधियों के क्रय द्वारा समर्थित होना चाहिए। वर्ष के दौरान वेतनवृद्धि का जारी किया जाना या प्रोन्नति 1 जनवरी को यथा विद्यमान सीमा को प्रभावित नहीं करेगी। वर्ष के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक पात्रता अनुपाती दर पर निर्बंधित होगी:

परंतु सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी की दशा में, किसी वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्ययों या प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को यथालागू सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम मास के मूल वेतन की रकम के साथ मंहगाई भत्ता, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगी : परंतु यह और कि यदि मूल वेतन पुनरीक्षित किया जाता है तो पहले परंतुक के अधीन सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी को अनुज्ञेय रकम, पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार समतुल्य स्तर पर पुन:नियत की जाएगी :

परंतु यह भी कि बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पर अधिकतम सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी, जहां ऐसे बाह्य चिकित्सा व्यय केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अंतर्गत आने वाले केंसर या डायबिटीज या मानसिक व्याधि या पोलियो या प्रमस्तिष्क घात और मस्तिष्क आघात या क्षय रोग या कुष्ठरोग या थैलेसीमिया मुख्य या हिप्पाटाइटस 'सी' और 'डी' जैसे विशेष रोगों के लिए उपचार के मद्दे उपगत होते हैं, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष द्वारा दिए गए अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

- (iii) बाह्य उपचार प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले पैनल से प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से लिया जाएगा ।
- 2. अन्तरंग उपचार—(i) अन्तरंग उपचार के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों ही, समतुल्य वेतन आहरित करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार के लिए हकदार होंगे:
 - (ii) उपचार का खर्च, जिसके अंतर्गत सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल में अस्पताल आवास भी है, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगा ;
 - (iii) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार, आपात के सिवाय, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों की सलाह पर लिया जा सकेगा।
- 3. सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अभिदाय—प्राधिकरण का सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी, यदि प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने का विकल्प लेता है, तो वह केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के अधीन चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने वाले केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को यथा लागू ऐसी दर पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि में अभिदाय करेगा:

परंतु मृत अधिकारी या कर्मचारी के पति/पत्नी से अपेक्षा की जाएगी कि वह केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी की दशा में यथालागू एक ही समरूपता पर रकम का अभिदाय करेगा।"।

- 4. मूल नियम की अनुसूची 3 के खंड (3) में, 'अधिकारियों का वेतनमान' शीर्षक के अधीन,--
 - (1) "22,400-24,500 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मेट्रिक्स के स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रुपए)" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
 - (2) "18,400-22,400 रुपए और 14,300-18,300 रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मेट्रिक्स के स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रुपए) और स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रुपए)" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
 - (3) "12,000-16,500 रुपए और उससे कम" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वेतन मेट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपए) और उससे कम" शब्द और अंक रखे जाएंगे।"

[फा.सं. 10-02/2000-पुनर्गठन (वोल्यूम. 5)]

नवनीत गृप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 726(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

- **G.S.R. 796(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 read with clause (ca) of sub-section (2) of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Rules, 2002:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) (Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Telecom Regulatory Authority of India (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Rules, 2002 (hereinafter referred to as the principal rules), -
 - (1) in rule 4, in sub-rule (1), -
 - (a) for the proviso (b), the following proviso shall be substituted; namely:-
 - "(b) the officers and employees of the Authority, <u>both serving and retired</u>, shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule-II:

Provided that only those retired officers and employees of the Authority shall be entitled for medical facilities who have retired from the Authority as regular officer or employee and have rendered not less than three years whole-time employment in the Authority and a total of twenty years of service in the Authority and other Government Department or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies."

- (b) in proviso (c), in item (i), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted; namely:-
- "Provided further that the officers and employees of the Authority (except Chairperson, Members and those appointed on deputation) appointed on or after the 01st January, 2004 shall be governed by the National Pension System regulated under the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.";
- (c) in proviso (e), for the words and figures "the Gratuity Act, 1976", the words and figures "the Gratuity Act, 1972" shall be substituted;
- (2) in rule 5, in sub-rule (2), in clause (iv), for the words and figures "in the pay scale of Rs. 22,400 24,500 (pre-revised Rs.7,300 7,600)."; the words and figures "in level -15 (Rs 182200-224100) of the pay matrix" shall be substituted.
- 3. For **Schedule-II** of the principal rules the following Schedule shall be substituted; namely: -

"Schedule - II

[See rule 4(b)]

MEDICAL FACILITIES

- 1. **Outdoor Medical expenses.** (i) Officers and employees both serving and retired shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.
 - *Explanation* For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
 - (ii) The reimbursement of outdoor medical expenses during a year shall be limited to the actual expenses or one month's pay as on the 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less. The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos/bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines. Release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January. For officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis:

Provided that in case of a retired officer or employee, the reimbursement of outdoor medical expenses during a year shall be limited to the actual expenses or the amount of last month's basic pay drawn at the time of retirement plus dearness allowance, as applicable as on the 1st January of every year, whichever is less:

Provided further that in case the basic pay is revised, the amount admissible to the retired officer or employee under first proviso shall be re-fixed at the equivalent level as per the revised pay scale:

Provided also that the ceiling on reimbursement of outdoor medical expenses shall not be applicable in cases where such outdoor medical expenses are incurred on account of treatment for the special diseases like Cancer or Diabetes or Mental disease or Poliomyelitis or Cerebral palsy and Spastics or Tubercular disease or Leprosy or Thalassaemia major or Hepatitis 'C' & 'D', covered under instruction contained in Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, subject to approval by the Head of Department in Telecom Regulatory Authority of India.

- (iii) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Authority.
- 2. **Indoor treatment.**-(i) For the purpose of indoor treatment, the officers and employees, both serving and retired, of the Authority shall be entitled for medical treatment at the hospitals recognised by the Central Government under the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay;
 - (ii) The cost of treatment including hospital accommodation at Government empanelled hospital shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944;
 - (iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical attendants except in emergency.
- 3. **Contribution by retired officers and employees.** A retired officer or employee of the Authority shall, if he opts to avail the medical facility provided by the Authority, contribute to the Telecom Regulatory Authority of India General Fund at such rate as applicable to the Central Government pensioners availing medical facility under Central Government Health Scheme:

Provided that the spouse of a deceased officer or employee would be required to contribute the amount on the same analogy as applicable in the case of Central Government pensioner".

- 4. In **Schedule-III** of the principal rules, in clause (3), under the heading 'Pay scales of officers', -
- (1) for the words and figures "Rs. 22400-24500", the words and figures "level 15 (Rs 182200-224100) of the pay matrix" shall be substituted;
- (2) for the words and figures "Rs. 18400-22400 and 14300-18300", the words and figures "level 14 (Rs 144200-218200) and level 13 (Rs 123100-215900) of the pay matrix" shall be substituted;
- (3) for the words and figures "Rs. 12000-16500 and below", the words and figures "level 12 (Rs 78800-209200) and below of the pay matrix" shall be substituted."

[F.No.10-02/2000-Restg.(Vol.V)]

NAVNEET GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, vide notification number G.S.R. 726 (E) dated the 25th October, 2002.